

राजस्थान विधान सभा
प्रथम सत्र
कार्य-सूची
शुक्रवार, दिनांक 09 जनवरी, 2009
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. शोकाभिव्यक्ति

श्री सुधीर रंजन मजूमदार, पूर्व मुख्यमंत्री, त्रिपुरा के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी ।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) वार्षिक प्रतिवेदन

श्री हरजीराम बुरडक, कृषि मंत्री दी वेयर हाऊसिंग कॉरपोरेशन एक्ट , 1962 की धारा- 31 (2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 सदन की मेज पर रखेंगे ।

(ख) प्रतिवेदन

श्री शांती कुमार धारीवाल, उद्योग मंत्री -

- I भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) ; एवं
- II वित्त एवं विनियोग लेखे वर्ष 2007-2008

- सदन की मेज पर रखेंगे ।

4. विधायी कार्य

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

(1) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009

- (I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर
(संशोधन) विधेयक, 2009
(2009 का विधेयक संख्या-8)

"राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 को
और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश 2008 (2008 का अध्यादेश संख्या-6) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

(2) जोधपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2009

जोधपुर विकास प्राधिकरण विधेयक,
2009
(2009 का विधेयक संख्या-9)

- (I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

"जोधपुर शहर तथा उसके निकटवर्ती कतिपय क्षेत्रों को मिलाकर जोधपुर रीजन बनाने, जोधपुर रीजन के समुचित, सुव्यवस्थित तथा सत्वर विकास के लिये योजना बनाने, उनमें समन्वय स्थापित करने और उसका पर्यवेक्षण करने और ऐसे विकास के लिये योजनाओं, परियोजनाओं तथा स्कीमों को निष्पादित करने के प्रयोजनार्थ एक प्राधिकरण की स्थापना और उससे संबंधित मामलों का उपबन्ध करने हेतु विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।
(III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2008 (2008 का अध्यादेश संख्या-5) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

(3) जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2009

जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय,
जोधपुर विधेयक, 2009
(2009 का विधेयक संख्या-10)

- (I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

"राजस्थान राज्य में जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर की स्थापना और निगमन के लिए और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।
(III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर अध्यादेश, 2008 (2008 का अध्यादेश संख्या-4) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

(4) राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन), विधेयक, 2009

राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक
संस्था (संशोधन)
विधेयक, 2009
(2009 का विधेयक संख्या-7)

- (I) मास्टर भंवरलाल, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

"राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।
(III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का अध्यादेश संख्या-9) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

5. वित्तीय कार्य

अतिरेक मांगे वर्ष 2005-2006 का उपस्थापन

श्री शांती कुमार धारीवाल, उद्योग मंत्री वर्ष 2005-2006 के लिये अतिरेक मांगों का उपस्थापन करेंगे ।

6. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद

डॉ. रघु शर्मा (वि.सं.-137), सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 जनवरी, 2009 को प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर अग्रत्तर वाद-विवाद होगा :-

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं ।"

एच.आर.कुड़ी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 08 जनवरी, 2009